कार्यालय प्राचार्य, शासकीय राजकुमार धीरज सिंह,महाविद्यालय
उदयपुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

यूजीसी से 2 (F) मान्यता , संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर से संबद्ध

COLLEGE CODE- 3405 "NAAC द्वारा मूल्यांकित - B ग्रेड"(2.18CGPA)टेलीफोन नं0– 07774–251272

Website:govtrdscollegeudaipur.in Email ID govtrdscollegeudaipur01@gmail.com

क्रमांक / 10 /अति.व्या./ स्था./ 2024–25 उदयपुर दिनांक 16/04/2025

प्रति,

श्री चित्रकुमार,
S/o श्री बैजनाथ प्रजापति
ग्राम – जाता तहसील – साजा
जिला – बेमेतरा (छ.ग.)
पिन कोड – 491993

विषयः– वैकल्पिक अतिथि व्याख्याता पद में नियुक्ति बाबत्।

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज स्था./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक **06/07/2024** के अनुपालन में इस महाविद्यालय में वैकल्पिक अतिथि व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) हेतु विज्ञापन, पत्र क्रमांक 02/अति.व्या./स्था./2024–25 दिनांक **05/04/2025** द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिस हेतु जारी अंतिम मेरिट सूची (दावा आपत्ति निराकरण पश्चात) में आपका क्रम **शीर्ष** पर है, अतएव आप दिनांक **19/04/2025** तक अनिवार्य रूप से महाविद्यालय के कार्यालयीन समय में अपने मूल दस्तावेजों के साथ आकर चयन समिति के समक्ष परीक्षण उपरान्त, अपना कार्यभार ग्रहण करें।

टीप :–1. अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के नियमानुसार नियुक्ति की शर्ते लागू होगी।

2.संबंधित विषय में नवीन नियुक्त/नियमित पदस्थापना या स्थानान्तरण के फलस्वरूप अथवा अवकाश में गये अतिथि व्याख्याता के अवकाश समाप्त होने के उपरांत पुनः पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत् वैकल्पिक अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक की सेवा स्वमेव समाप्त हो जाएगी।

प्राचार्य
शास. राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय,
उदयपुर, जिला – सरगुजा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

(अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के प्रसूति/पी–एच.डी. अध्ययन अवकाश की स्वीकृति उपरांत वैकल्पक व्यवस्था के अंतर्गत वैकल्पक व्याख्याता हेतु शपथ पत्र का प्रारुप)

शपथपत्र

(50 रुपये के गैर–न्यायिक कागज पर नोटरीकृत)

मैं, ... पिता .... उम्र .... वर्ष रहवासी ....एतद् द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 की कण्डिका 11.3 अंतर्गत वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत मुझे .... विश्वविद्यालय की .... अध्ययनशाला/महाविद्यालय .... जिला ....के .... विषय में कार्यरत .... अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) के पी–एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश की अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर वैकल्पिक व्याख्याता के रुप में आमंत्रित किया गया है, जिसे स्वीकार कर नीति में दी गयी निम्न शर्तों का पालन करुंगा/करूंगी। मैं शपथपूर्वक यह भी स्वीकार करता/करती हूं नियमों का पालन न करने की स्थिति में इस वैकल्पिक आमंत्रण/व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है –

1. मैं छत्तीसगढ़ राज्य का/की मूल निवासी हूं/नहीं हूं ।
2. मुझे उपर्यक्त उल्लेखित संस्थान व्दारा वैकल्पिक व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी/शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/ क्रीड़ा सहायक हेतु आमंत्रित किया गया है ।
3. मुझे अवगत है कि अवकाश में प्रस्थान किये अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) के अवकाश उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मेरी वैकल्पक व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जायेगी ।
4. मेरे विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।
5. मैं किसी अन्य शासकीयध्अर्धशासकीय संस्था में सेवारत नहीं हूं एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालयध्महाविद्यालय में शिकायतध्कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर मेरी सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
6. इस व्यवस्था के अंतर्गत मुझे मानदेय के अतिरिक्त अन्य लाभ विस्थापन इत्यादि प्राप्त नहीं होगा।
7. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 में उल्लेखित वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं सभी शर्ते मुझे मान्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

यदि उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा किसी अन्य कारण से बिना सूचना/अनुमति 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संस्था प्रमुख व्दारा मेरी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है।

आवेदक के हस्तातक्षर

गवाह

1.

2.

Scanned with OKEN Scanner